कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कोटा

क्रमांक : प.जि.न्याया/स्था./2020/ई.ए./८५ दिनांक : 19-04-2020

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 15/पी.आई./2020 दिनांक 19.04.2020 की पालना में, इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक प.जि.न्याया/स्था./2020/ई.ए./77 दिनांक 14.04.2020 को आंशिक संशोधित करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए जाते हैं, जो दिनांक 20.04.2020 से 03.05.2020 तक और/या आगामी आदेश तक प्रभावी रहेंगे :–

कोटा न्यायक्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालय/विशिष्ट न्यायालय/अधिकरण/बोर्ड प्रत्येक कार्य दिवस पर निर्धारित समय के अनुसार खुलेंगे तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र क्रमांक 14/पी.आई./2020 दिनांक 14.04.2020 में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य प्रत्येक कार्य दिवस पर 2 पी.एम. से 4 पी.एम. तक ही किए जाएंगे, शेष कार्यालय समय प्रशासनिक कार्य के लिए होगा। इस हेतु पीठासीन अधिकारी आवश्यकतानुसार अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य करने हेतु बुला सकते हैं परन्तु उनके बैठने की व्यवस्था इस प्रकार सुनिश्चित की जाए ताकि उनके मध्य पर्याप्त दूरी बनी रहे तथा शेष कर्मचारीगण को कार्यालय में बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी परन्तु उनको रोटेशन के आधार पर कार्यालय में बुलाने हेतु अपने निवास पर उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाए तथा उनको यह भी निर्देशित किया जाए कि वे अनावश्यक बाहर घूमने–फिरने पर अंकुश रखें जिससे बाहरी व्यक्तियों से उनका सम्पर्क कम से कम हो सके।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परिपत्र दिनांक 19.04.2020 तथा राजस्थान सरकार गृह विभाग के आदेश क्रमांक प.33(2) गृह–9/2019 दिनांक 15.04.2019 में दिए गए निर्देशानुसार समस्त पीठासीन अधिकारीगण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि कोटा न्यायक्षेत्र के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में रहने वाले अथवा ऐसे स्थल पर रहने वाले कर्मचारीगण जिनके इलाकों में कर्फ्यू तो नहीं है परन्तु उनके घर से ऑफिस तक आने के लिए कर्फ्यूग्रस्त इलाके के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता न हो, ऐसे कर्मचारीगण को कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य न किया जाए, अन्यथा इससे

(41) 19/4/20

Scanned by CamScanner

संक्रमण की सम्भावना बढ़ सकती है। किसी भी तरह की असुविधा होने पर श्री ऋषभ कुमार जैन, प्रशासनिक अधिकारी, जिला एवं सेशन न्यायालय, कोटा से सम्पर्क करें जो मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता के निर्देशानुसार समुचित व्यवस्था करेंगे।

इसके अतिरिक्त इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए निर्देश यथावत रहेंगे।

19/4/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

क्रमांक : प.जि.न्याया / स्था. / 2020 / दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, कोटा न्यायक्षेत्र, कोटा
2. जिला कलेक्टर, कोटा
3. अध्यक्ष, अभिभाषक परिषद, कोटा / रामगंजमण्डी / सांगोद / कनवास / इटावा / दीगोद, जिला कोटा
4. पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर / कोटा ग्रामीण
5. लोक अभियोजक / विशिष्ट लोक अभियोजक, सेशन न्यायालय, कोटा
6. उपनिदेशक, अभियोजन, कोटा
7. सिस्टम ऑफिसर को जिला न्यायालय, कोटा की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
8. कार्यालय प्रति

19/4/20

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
कोटा

Scanned by CamScanner